



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032022-234283  
CG-DL-E-17032022-234283

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 17, 2022/फाल्गुन 26, 1943

No. 73]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 17, 2022/PHALGUNA 26, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2022

सं. 50 / 2015-2020

विषय : प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 के एनएफ 4च के दिशानिर्देशों में संशोधन।

फा. सं. 01/94/180/218/एम21/पीसी-4.—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक, 2015-2020 के एनएफ-4च के दिशानिर्देशों में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

मौजूदा पैरा 2(क) (i)	संशोधित पैरा 2(क) (i)
(i) परिशिष्ट 2प में दिए गए फॉर्म में ई-बीआरसी/निर्यात और प्राप्ति का बैंक प्रमाण पत्र या दस्तावेजों की सीधे लेन देन के मामले में विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण पत्र (एफआईआरसी) या निर्यात आय के समायोजन के मामले में परिशिष्ट 2ठ।	(i) परिशिष्ट 2प में दिए गए फॉर्म में ई-बीआरसी /निर्यात और प्राप्ति का बैंक प्रमाण पत्र या दस्तावेजों की सीधे लेन देन के मामले में विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण पत्र (एफआईआरसी) या निर्यात आय के समायोजन के मामले में परिशिष्ट 2ठ। ओएफएसी सूचीबद्ध देशों को निर्यात के मामले में, निर्यातक एफआईआरसी को स्व-घोषणा के साथ प्रस्तुत कर सकता है कि संबंधित बैंक द्वारा ई-बीआरसी जेनरेट नहीं किया जा सका।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: प्रक्रिया पुस्तक, 2015–2020 के एएनएफ–4च के दिशानिर्देशों में अग्रिम अधिकार–पत्र के तहत ओएफएसी सूचीबद्ध देशों को किए गए निर्यात के मामले में एफआईआरसी जमा करने की अनुमति देने के लिए संशोधन किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)**

**PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 17th, March, 2022

**No. 50/2015-2020**

**Subject: Amendments in the Guidelines of ANF-4F of Handbook of Procedures 2015-2020.**

**F. No. 01/94/180/218/AM21/PC-4.**—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade makes the following amendments in the guidelines of ANF-4F of Handbook of Procedures, 2015-2020:

<b>Existing Para 2(a)(i)</b>	<b>Amended Para 2(a)(i)</b>
(i) e-BRC / Bank Certificate of Exports and Realisation in the form given at Appendix 2U or Foreign Inward Remittance Certificate (FIRC) in the case of direct negotiation of documents or Appendix 2L in case of offsetting of export proceeds.	(i) e-BRC / Bank Certificate of Exports and Realisation in the form given at Appendix 2U or Foreign Inward Remittance Certificate (FIRC) in the case of direct negotiation of documents or Appendix 2L in case of offsetting of export proceeds. <b>In case of export to OFAC listed countries, exporter may submit FIRC along-with the self-declaration that e-BRC could not be generated by the concerned bank.</b>

**Effect of this Public Notice:** Guidelines of ANF-4F of Handbook of Procedures, 2015-2020 has been amended to allow submission of FIRC in case of exports made to OFAC listed countries under Advance Authorization.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy.